

दिनांक - 15/5/18

दिनांक	आज्ञा पत्र
15-5-18	<p>पत्रावली पेशा वकील अपीलेंट / रेस्पोंडेंट्स दिनांक 15-5-18 को पेशा होकर पत्र है। अतः पत्रावली पूर्ण आकाशवाणी दिनांक 14-5-18 को पेश होकर</p>
14-5-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 14-5-18 को पेश होकर पत्र है। अतः पत्रावली पूर्ण आकाशवाणी दिनांक 12-7-18 को पेश होकर</p>
17-7-18	<p>पत्रावली पेशा वकील अपीलेंट / रेस्पोंडेंट्स दिनांक 17-7-18 को पेश होकर पत्र है। अतः पत्रावली पूर्ण आकाशवाणी दिनांक 21-8-18 को पेश होकर</p>
21/8/18	<p>पत्रावली प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 21/8/18 को पेश होकर पत्र है। अतः पत्रावली पूर्ण आकाशवाणी दिनांक 5-10-18 को पेश होकर</p>
5-10-18	<p>पत्रावली पेशा वकील अपीलेंट को पूर्व पेशी पर विदायात की गई थी। आगामी तिथि से पूर्व तामीत से वॉच रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलेंट ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलेंट अपनी अपील के प्रति भणीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज हो जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर से कथ होकर बाद तारीख तकमौल दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">सत्यमेव जयते</p> <p style="text-align: center;">Web Copy - Not Official</p> <p style="text-align: right;">5/10/18 पदेन राजस्व अधिकारी लॉकर</p>



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official